न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 27/2017 तारीख रजू:– 9.2.2017

1 मोहनलाल
2 बाबूलाल
3 छुटटन

→ पिसरान सुरजन जाति मीना निवासी सोप तहसील नादौती जिला करौली :– अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 7.12.2016 न्यायालय तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली मु0न0 17/2016 व उनमानी सरकार बनाम मोहनलाल वगै0 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 25.02.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 7.12.2016 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 506 रकवा 512 वर्गमीटर गैरमुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण बताते हुये शास्ती बेदखली सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसमे इस रास्ता मे सम्बत 2073 मे किसी प्रकार का कोई छपर पोष पाटोर आदि का अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कि गई है। ग्रामवासियो को किसी प्रकार की कोई परेशानी नही है। पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का द्वारा कोई घटनावही की नकल पेश नही की है। पटवारी हल्का ने ग्राम की राजनिती मे भाग लेकर गलत एवं झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नही गया है। साथ ही ग्राम अतिक्रमण भी प्रशासन द्वारा भी हटा दिया गया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की वहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन अपील मीमो को दोहराते हुये और कहा कि मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नहीं सुना है एक पक्षीय सुनते हुए

न्यायालय द्वारा अपीलान्टी को नोटिस जारी किया गया किन्तु अपीलान्टी की स्वयं की तामील नही होकर अन्य व्यक्ति की तामील हुई है। और अतिक्रमी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये सिविल कारावास शास्ति व वेदखली से दण्ड से दण्डित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे गत वर्षो मे किसी प्रकार का बेदखली बाबत कोई दस्तावेज शामिल नही है। ना ही अतिक्रमी को विधिवत सुना है। इसी सन्दर्भ मे तहसीलदार नादौती से क्रमाक 152 दिनांक 22.2.2018 से इस भूमि पर मौका रिपोर्ट चाही गई थी जिसमे तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट क्रमाक राजस्व/17/406 दिनांक 12.6.2017 के द्वारा बताया है कि 28.1.2017 को गठित कमेटी के द्वारा आम रास्ते पर हुये अतिक्रमण को हटा लिया गया है। मौके पर कोई अतिक्रमण नही है। मौके पर रास्ता खुलासा है। इस प्रकार से जब भूमि पर वर्तमान मे अतिक्रमण नही रहा है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नादौती तहसील नादौती जिला करौली का निर्णय दिनांक 7.12.2016 मे से 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली